.न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी–करप्शन,सी0बी0आई0,पश्चिम, लखनऊ।

सेशन ट्रायल नं0– 1065/2019
आर.सी.–4(एस)/2019/सीबीआई/एससीबी/लखनऊ
धारा–147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0– 810/2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी–47 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी–47 अभियुक्त नितेश मिश्रा की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत की गई तृतीय पूरक आरोप पत्र में झूंठा फंसाया गया है। सी0बी0आई0 द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपो को यदि स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व किसी भी धारा में अपराध नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त सी0ए0 के व्यवसाय में है। प्रस्तुत प्रकरण सी0बी0आई0 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विवेचना प्राप्त हुई थी। पूर्व में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में आवेदक नामजद नहीं था और स्थानीय पुलिस द्व ारा पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाये गये थे कि करीब दो वर्ष पूर्व अतीक अहमद व उसके साथियों द्वारा दबाव बना कर उससे धन उद्वापित किया गया था। शुरू में शिकायतकर्ता ने उसको कुछ धनराशि दी थी तो अतीक अहमद ने उस पर दबाव नहीं बनाया परन्तु पिछले 4 माह से अतीक अहमद के दो साथी फारूख व जकी उसको आपराधिक अभित्रास देने लगे और बल पूर्वक शिकायतकर्ता की कम्पनी में अपने नाम दर्ज करा लिया तथा जबरदस्ती शिकायतकर्ता का आफिस में कब्जे में ले लिया। अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल के डिजीटल हस्ताक्षर भी प्राप्त किये फिर भी शिकायतकर्ता ने अपनी कम्पनी का कोई भी शेयर फारूख या जकी को स्थानान्तरित नहीं किया। दिनांक 26.12.18 को अतीक अहमद का एक साथी ने उसका अपहरण कर उसे उसकी फारच्यूनर कार से अतीक अहमद के पास देवरिया जेल ले जाया गया। वहॉ अतीक अहमद व उसके बेटे उमर एवं 10–12 लोग वहॉ पर उपस्थित थे, ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा जिन्हें अतीक अहमद, जफरउल्ला व गुलाम सरवर कह कर बुला रहा था। उक्त मारपीट में शिकायतकर्ता के हाथ की उंगली टूट गयी थी और उसे बाहरी व आन्तरिक गम्भीर चोटे आई। इसके बाद अतीक अहमद ने शिकायतकर्ता की कम्पनी अपने साथियों मो0 फारूख व जकी अहमद के नाम जबरदस्ती स्थानान्तरित करवा लिया और उसकी फारच्यूनर कार भी बलपूर्वक छीन ली। अतीक अहमद व उसके साथियों ने शिकायतकर्ता से जबरदस्ती त्याग पत्र से सम्बन्धित कागजों पर हस्ताक्षर करवाये और उसकी बहन के भी बोगस हस्ताक्षर 15–20 सादे कम्पनी के लेटर हेड पर करवायें। सी0बी0आई0 द्वारा जो तृतीय पूरक आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया उसका अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान पर्याप्त साक्ष्य न होने पर भी सरसरी तौर पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना लिया गया है। आवेदक शिकायतकर्ता के विरूद्व केवल कुछ दस्तावेजों को अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये है और इसके अलावा आरोप पत्र में लगाई गई अन्य धारायें आवेदक पर लागू नहीं होती है। शिकायतकर्ता व आरती जायसवाल के त्यागपत्रों को अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता पर दबाव बना कर देवरिया जेल के अन्दर ही दिनांक 26.12.2018 को ही हस्ताक्षर करा लिये गये थे जिन्हें सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह को अभियुक्त जफरउल्ला द्वारा दिया गया था। जिसने उसे सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह के मोबाइल पर वॉटसएप के माध्यम से भेजा था, जिसे आवेदक अभियुक्त नितेश मिश्रा

के आफिस कम्प्यूटर से डाउनलोड किया गया था। बाद में उसे अन्य सुसंगत फार्म के साथ आरओसी की वेबसाइट पर जकी अहमद और सह आवेदक महेन्द्र कुमार सिंह के डिजीटल हस्ताक्षर से सत्यापन करने के बाद कम्पनी के निदेशक व भागीदारों के नाम बदलने के सम्बन्ध में अपलोड किया गया था। अभियुक्त जकी अहमद व योगेश कुमार जो कि एम0जे0 गुप ऑफ कम्पनी के कर्मचारी थे, वे भी दिनांक 26.12.18 को उक्त फर्जी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आवेदक के कार्यालय में उपस्थित थे। जकी अहमद आवेदक के आफिस में कम्पनी के सभी निदेशको तथा अपने डिजीटल हस्ताक्षर और पहचान के साक्षियों के साथ आया था। जकी अहमद कम्पनी में दिनांक 28.09.18 से निदेशक था इसलिए सन्देह का कोई कारण नहीं था क्योंकि निदेशक स्वयं कार्यालय में वाकिंग क्लाइंट के रूप में उपस्थित था। जकी अहमद निदेशक द्वारा दस्तावेजों की सत्यता पर प्रमाण दिया गया था। कम्पनी में यदि कोई आन्तरिक विवाद चल रहा हो तो आवेदक को उस समय इस तथ्य की कोई जानकारी नही थी। उसके विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं है और आवेदक अभियुक्त द्वारा किसी भी दस्तावेज की कोई कूट रचना नहीं की गई। उसके द्वारा जकी अहमद के निर्देश के अनुसार ही दस्तावेजों को अपलोड किया गया था। आवेदक के कार्यालय में सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार कर्मचारी न होकर अपना स्वयं का कार्य करता है। आवेदक द्वारा कम्पनी के किसी भी शेयर का स्थानान्तरण निष्पादित नहीं किया गया जिससे कम्पनी का स्वामित्व बदला जा सकता हो। आवेदक कभी भी एम0जे0ग्रुप के कार्यालय में नहीं गया। उसके द्वारा सद्भावना पूर्वक अपना व्यवसायिक कार्य किया गया था। उसके विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग किया और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाडी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहॉ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्मो को अपने सहयोगियों जकी अहमद व मो0 फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई थी। सी0बी0आई0 का यह भी कथन है कि विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मोहित जायसवाल व आरती जायसवाल द्वारा तीन कम्पनियों एम.जे. हाउसिंग प्रा0 लि0, एम.जे. इन्फ्रा ग्रीन प्रा0 लि0 व एम0जे इन्फ्रा स्टेट प्रा0 लि0 और साझेदार एम0जे0इन्फ्रालैंड से क्रमशः दिनांक 5.11.18 व 23.11.18 को त्यागपत्र देना दिखाया गया है जबकि मोहित जायसवाल से बलपूर्वक दिनांक 26.12.18 को देवरिया जेल में हस्ताक्षर करवाये गये थे। हस्ताक्षर कराने के बाद दस्तावेजों को सह अभियुक्त जफरउल्ला द्वारा सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह को भेजे गये जिसने अपने फोन से वॉटसएप के माध्यम से अभियुक्त महेन्द्र सिंह को भेजे। अभियुक्त महेन्द्र सिंह आवेदक अभियुक्त का कर्मचारी है, इस तथ्य की पुष्टि आवेदक अभियुक्त के साझेदार दीपक कुमार गुप्ता साक्षी के साक्ष्य से होती है। इसके बाद आवेदक अभियुक्त नितेश मिश्रा ने उक्त त्याग पत्र तथा अन्य दस्तावेज आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जिसके परिणामस्वरूप मोहित जायसवाल व आरती जायसवाल को बलपूर्वक उनकी कम्पनियों से हटा दिया गया और कम्पनियों का प्रबन्धन व नियंत्रण अभियुक्त मो0 फारूख व जकी अहमद के हाथ में आ गया। सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह और सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह के मोबाइल फोन को एफ0एस0एल0 गांधीनगर परीक्षण हेतु भेजा गया था जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि महेन्द्र कुमार सिंह के मोबाइल में चैट, पी0डी0एफ0फाइल व इमेज फाइल, जो कि मोहित जायसवाल की कम्पनी से त्यागपत्र से सम्बन्धित थी, पायी गयी थी। विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाश

में आया कि सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह व सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह एक दूसरे से दिनांक 26.12.18 को लगातार सम्पर्क में थे। सीडीआर के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.18 को आवेदक अभियुक्त का सह अभियुक्त पवन कुमार सिंह के साथ कम से कम 19 बार बात की थी। सह अभियुक्त जकी अहमद तथा सह अभियुक्त योगेश कुमार घटना के दिनांक 26.12.18 को ही आवेदक अभियुक्त के कार्यालय में गये थे। जकी अहमद अपने साथ मोहित जायसवाल व आरती जायसवाल के डिजीटल सिग्नेचर लाया था। इसके बाद आवेदक अभियुक्त द्व ारा शिकायतकर्ता की कम्पनियों से सम्बन्धित फार्म नं0 डीआईआर–12 तथा अन्य दस्तावेज आरओसी की सॉइट पर अपलोड किये गये। सह अभियुक्त जकी अहमद के डिजीटल हस्ताक्षर तथा डीआईएन–08243190 डीआईआर–12 फार्म पर लगाये गये। उक्त फार्म पर आवेदक अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की सत्ययता एवं शुद्वता को प्रमाणित करने के उद्वेश्य से डिजीटल सिग्नेचर किये गये। आवेदक अभियुक्त द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया कि उक्त सभी अभिलेख सही ढंग से बनाये गये है और इसका मिलान मूल/सत्यापित दस्तावेजों से किया गया है, जो कम्पनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित है तथा कम्पनी ऐक्ट 2013 के प्राविधानों के अनुरूप है। उसके द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया कि उसके द्वारा प्रमाणित की गई सूचना यदि झूंठी पायी जाती है तो वह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 448 के अन्तर्गत दायी होगा। उपरोक्त डीआर–12 फार्म घटना के उपरांत आवेदक अभियुक्त द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता के कार्यालय गया, जो कि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के अवैध कब्जे में था, जहॉ शिकायतकर्ता की कम्पनी एम0जे0 इन्फ्रा लैण्ड एलएलपी का मूल अनुबन्ध पत्र आदि दस्तावेज उसको प्राप्त नहीं कराये गये तब उसने सह अभियुक्त जकी अहमद को उक्त दस्तावेज प्राप्त कराने को बोला। इसके बाद वे दस्तावेज कम्पनी के एक कर्मचारी श्रीधन एस बाजपेयी की ईमेल से अभियुक्त आवेदक के ई मेल को उसी दिन यानी 26.12.18 को भेजे गये। उसी दिन शिकायतकर्ता की कम्पनी एम0जे0 इन्फ्रा लैण्ड एलएलपी से सम्बन्धित एलएलपी फार्म, फार्म–4 आरओसी की साइट पर अपलोड किये गये। शिकायतकर्ता के डिजीटल सिग्नेचर भी उसी दिन उक्त फार्म पर लगाये गये। जबकि विवेचना से यह स्थापित हुआ कि उस दिन यानी 26.12.18 को शिकायतकर्ता देवरिया में था। आवेदक अभियुक्त ने भी उक्त फार्म की सत्यता व प्रमाणिकता के सम्बन्ध में अपने डिजीटल हस्ताक्षर किये थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि सप्लीमेंटर एग्रीमेंट 5.11.2018 को निष्पादित होना दिखाया गया है और जिन नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर इसे निष्पादित होना दिखाया गया है, उक्त स्टैम्प पेपर दिनांक 22.11. 18 को ही विक्रीत हुए थे। इन तथ्यों की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेखों व सम्बन्धित स्टाम्प वेंडरो के बयानों से होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त सप्लीमेंटर एग्रीमेंट दिनांक 5.11.18 को नहीं बनाया गया था और फर्जी है। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त डीआर–12 तथा एलएलपी फार्म अपलोड किये जाने के दौरान नियत नियमों का पालन आवेदक अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया। यदि नियत नियमों का पालन किया गया होता तो अभियुक्तगण शिकायतकर्ता व उसकी बहन को उनकी कम्पनियों से हटाने में कभी सफल नहीं हो पाते। सी0बी0आई0 द्वारा मामला सत्य पाते हुए पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व पाया गया है और विवेचनोपरांत आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी0बी0आई0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा–147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा0द0सं0 आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्बन्धित प्रकरण में सह अभियुक्त महेन्द्र कुमार सिंह व आवेदक/अभियुक्त एक ही

कार्यालय में बैठते थे और अलग अलग कार्य करते थे। सी0बी0आई0 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि दोनों का आपस में सम्बन्ध था। यह भी तर्क दिया गया कि बतौर सी0ए0 उनके द्वारा जो सत्यापन किया गया तथा मोहित जायसवाल के तथाकथित कूट रचित दस्तावेज आरओसी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया वह सद्भाव पूर्ण ढंग से किया गया क्योकि उन्होने जकी अहमद के कहने पर किया जो कि कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति थे। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि उन पर भा0द0सं0 की जो धारायें लगायी गई है, उनमें से किसी भी धारा के आवश्यक तत्व उसके विरूद्व प्रथम दृष्टया आकृषित नही हो रहे है लिहाजा उक्त धाराओं के आरोप उनके विरूद्व नहीं बनने चाहिए और यदि अभियोजन कथनानक को मान भी लिया जाय तो अधिकतम कम्पनी अधिनियम का मामला बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सी0बी0आई0 की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त चार्टड एकाउन्टेट था और वादी मुकदमा मोहित जायसवाल से सम्बन्धित तथाकथित कूट रचित दस्तावेजों को प्राप्त कर आरओसी के साइट पर अपने तथा सह अभियुक्त जकी अहमद के डिजीटल सिग्नेचर द्वारा अपलोड किया गया और इन दस्तावेजों के माध्यम से अभियुक्त जकी अहमद व मो0 फारूख द्वारा वादी मुकदमा की उपरोक्त चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व ले लिया गया। आवेदक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहा है तथा उसके विरूद्व पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें वादी मुकदमा मोहित जायसवाल का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0, शिकायतकर्ता व उसकी बहन की चारों कम्पनियों के स्वामित्व सम्बन्धी आरओसी कानपुर के दस्तावेज व अन्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। सी0बी0आई0 द्वारा मामला सत्य पाते हुए पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व पाया गया है और विवेचनोपरांत आरोप पत्र उपरोक्त वर्णित धाराओं में प्रस्तुत किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***<u>स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम् सोमनाथ थापा 1996 एस0सी0सी0 (4) 659</u>*** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि–व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्व करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637** पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था **प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B.** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरूद्व गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरूद्व आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते है। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया

गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणें में सम्मिलित होना ही आवश्यक है। इस प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त नितेश मिश्रा, जो कि एक सी0ए0 थे, उनके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ षडयंत्र में सम्मिलित होकर कूट रचित एवं शिकायतकर्ता को विवश कर बनाये गये दस्तावेजों का समुचित परीक्षण एवं सत्यापन किये बिना उसे आरओसी की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा उपरोक्त कार्य किया गया था परन्तु उन्हें अपराध के विषय तथा दस्तावेज कैसे बनाये गये एवं उस पर हस्ताक्षर कैसे प्राप्त किये गये, इन बातों का ज्ञान नहीं था अर्थात अभियुक्त का मुख्य तर्क यह है कि उनके द्वारा जो भी कार्य किये गये वे सद्भावपूर्वक किये गये।

ऐसी स्थिति में यह एक विचारण का बिन्दु है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित किये गये कार्य सद्भाव पूर्वक किये गये थे अथवा नहीं। इस निष्कर्ष पर न्यायालय साक्ष्य उपलब्ध होने के पश्चात ही पहुॅच सकता है। इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा दिया गया तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

ऐसे में उपरोक्त तर्को तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरूद्व आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्रविवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्व ारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नितेश मिश्रा द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी–47 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश,एन्टी–करप्शन,
सी0बी0आई0,पश्चिमी,लखनऊ।

Digitally signed by AJAY VIKRAM SINGH
Date: 2023.03.13 16:44:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court